संख्या-75/इक्कीस-4-2014-30/2013

प्रेषक,

संजीव दूबे,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान,

लखनऊ।

भाषा अनुभाग -4 लखनऊ : दिनांक: 07 अप्रैल, 2014

विषय:-हिन्दुस्तानी अकादमी को वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम चार माह हेतु लेखानुदान अवधि में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 में प्रथम चार माह हेतु लेखानुदान अवधि में हिन्दुस्तानी अकादमी को वेतन आदि के भुगतान हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में रुपये 11.30 लाख (रूपये ग्यारह लाख तीस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आहरित करके आपके द्वारा अकादमी को भुगतान किया जाएगा और उसका बिल अनुसचिव, भाषा विभाग, उ० प्र० शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) इस धनराशि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा , जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस अनुदान पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग -1 के अध्याय 16ए में दिए गए नियम लागू होंगे।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण सितम्बर , 2014 तक शासन को उपलब्ध कराया जाए | इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013-2014 का उपभोग प्रमाण पत्र एवं आडिट की अद्यतन स्थिति से भी शासन को अवगत कराया जाय।

2- उपर्युक्त सम्पूर्ण धनराशि रुपये 04.80 लाख (रुपये चार लाख अस्सी हज़ार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या -39 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा – आयोजनेत्तर-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा- 104 – अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता-03-हिन्दुस्तानी अकादमी, उत्तर प्रदेश को अनुदान- 20--सहायता अनुदान –सामान्य (गैर वेतन) के नाम डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी -1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव दूबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या -75(1)/इक्कीस -4-2014-30/2013,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार,(सिविल आडिट) प्रथम /द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3- निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी,लखनऊ।
5- वित्त(व्यय –नियंत्रण) अनुभाग -7/ वित्त (आय –व्ययक) अनुभाग-1।
6- सचिव,हिन्दुस्तानी अकादमी,राजर्षि टंडन भवन, 12-दी कमलानेहरु मार्ग, इलाहबाद।
7- भाषा उर्दू अनुभाग-4।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार अस्थाना)
अनुसचिव (भाषा)।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।